कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद–लखनऊ

संख्याः 4143 /आब0दु0/व्यवस्थापन/2018–19/ई–लाटरी/लखनऊ, दिनांकः 19 फरवरी, 2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–07 /2018 /218 ई–2 /तेरह–2018–46 / 2018 /दिनांक 25.01.2018 के अनुक्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्रांकः 38339–413 /दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2018–19 दिनांकःइलाहाबादः फरवरी0 3, 2018 के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु घोषित आबकारी नीति में वर्ष 2018–19 के लिए विशिष्ट जोन, मेरठ के गठन सम्बन्धी नियमावली को शासन द्वारा निरसित किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018–19 के लिए प्रदेश की समस्त आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन एक समान निर्धारित ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाना निश्चित हुआ है। यथानुसार वर्ष 2018–19 के लिए शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति के अनुसार आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के उक्त अर्द्ध शासकीय पत्रांक में निहित व्यवस्था एव प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद लखनऊ की देशी शराब की 508 ,विदेशी मदिरा की 177, बीयर की 168 एवं माडल शॉप की 51 दुकानो का व्यवस्थापन ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाना है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन http : //upexciseelottery.gov.in पर किये जा सकेगें। किसी दुकान के लिए आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें। किसी भी आवेदक के पत्र में एक जनपद में कुल मिलाकार दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी। लखनऊ जनपद की फुटकर बिक्री की देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शॉप दुकानों के लिए ई–आवेदन करने हेतु आवेदकों को ई–पोर्टल पर चार चरणों से गुजरना होगा। इस प्रकार आबकारी दुकानों के लिए आवेदन हेतु आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखनी आवश्यक होगी, जो इस प्रकार हैः–

1. जनपद लखनऊ के एन0आई0सी0 कार्यालय द्वारा विकसित ई–पोर्टल upexciseelottery.gov.in पर उक्त दुकानों से सम्बन्धित एम0जी0क्यू0 /बे0ला0फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि तथा हैसियत प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार इच्छुक आवेदक दुकान का चयन कर सकता है।
2. ई–लाटरी प्रणाली के अनुसार किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने को ई–पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय आवेदक को अपना आधार नम्बर एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते समय आवेदक के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे आवेदक को यथा स्थान पर भरना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा, जिसमें आवेदक को पैन नं0 सहित वांछित सूचनाए भरनी होंगी।
3. किसी भी आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसकी एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नं0/ई–मेल पर प्रेषित हो जायेगा।
4. उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकेगा। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, ताकि भविष्य में नये पासवर्ड के आधार पर ही आवेदक का पोर्टल में प्रवेश सम्भव हो सकेगा।
5. पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार जनपद की देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शाप्स दुकानों से सम्बन्धित प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
6. किसी दुकान के लिए उक्त सूचनाओं के आधार पर आवेदन की तैयारी आवेदक कर सकता है। देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शॉप्स की दुकानों के लिये देय प्रोसेसिंग फीस जी0एस0टी0 की धनराशि ,अर्हताओं आदि का विवरण भी आवेदक के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसलिए आवेदक का पूर्ण रूप से संतुष्ट होना आवश्यक है।
7. आवेदन करते समय आवेदक को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (JPG अथवा JPEG फारमेट में 10KB से 100KB), तक हैसियत प्रमाण–पत्र ,आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं

शपथ–पत्र की स्कैन कापी कम्प्यूटर में/ पैन ड्राईव में तैयार रखनी होगी, ताकि आवेदन अपलोड करते समय वह अभिलेख आवेदक के पास उपलब्ध रहे।

8. किसी दुकान के लिए आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा। यदि सह आवेदक के साथ आवेदन करता है, तो सह आवेदक का विवरण भी भरना होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात तृतीय चरण में उसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व आवेदक को अपना बैंक एकाउन्ट का डिटेल /आई0एफ0एस0सी0 (IFSC)कोड आदि भरना होगा ,ताकि चयनित न होने की दशा में आवेदक की धरोहर धनराशि वापस हो सके।

9. चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंट लेने की सुविधा होगी तथा पेमेंट किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है, लेकिन यदि उसके द्वारा ई–पेमेंट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

10. आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त सूचनायें अंकित होगा, प्राप्त होगी, का प्रिंट आवेदक ले सकता हैं।

11. जनपद लखनऊ की विज्ञप्ति के अनुसार किसी आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन होने की दशा में लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि तीन कार्य दिवसों में तथा प्रतिभूति धनराशि, जो लाइसेंस फीस का 1/10 वॉ भाग के बराबर होगी, की धनराशि का आधा भाग 10 दिवसों में एवं शेष भाग चयन होने की तिथि से 20 दिवस के अन्दर आवेदक को जमा करना अनिवार्य होगा। यह धनराशि चयनित अनुज्ञापी किसी भी कार्य दिवस में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर जमा कर सकता है। देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर के लिए निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क रू0 15,000/– तथा माडल शाप्स के लिए रू0 20,000/–एवं जी0एस0टी0 आवेदन करते समय ई–पेमेंट द्वारा आवेदक को ऑनलाइन जमा करना होगा। उक्त के अतिरिक्त धरोहर धनराशि भी ई–पेमेंट द्वारा आवेदक को आवेदन करते समय ऑनलाईन जमा करना होगा।

12. उक्त प्रकिया एन0आई0सी0 कार्यालय द्वारा आबकारी विभाग के लिए विकसित वेवसाईट http : // upexciseelottery.gov.in पर Online e-Lottery Portal लॉगइन कर की जा सकती है। आवेदको के लिए ऑन लाइन आवेदन करने हेतु उक्त साइट **दिनांक 20.02.2018 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 28.02.2018 तक सायं 7:00 बजे** तक आवेदन हेतु खुला रहेगा। उक्त के अतिरिक्त आबकारी नीति की विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www . upexcise.in एवं लखनऊ की वेबसाइट www.lucknow.nic.in पर उपलब्ध होगी। अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

13. उक्त के अतिरिक्त जनपद लखनऊ की फुटकर बिकी की 44 भांग दुकानों का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली 1991 के प्राविधानानुसार कराया जायेगा। ई–लाटरी एवं भॉग दुकानों की नीलामी निम्नलिखित कार्यकम के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा।

नोट– 1. ई लाटरी में आवेदन करने के लिए वेबसाइट http : // upexciseelottery.gov.in लॉगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है।

2. इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर मो0 नं0–9454466043 व ई–मेल upexcise100@gmail.com से किसी असुविधा के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

14. समयसारणी

1	प्रथम चरण	तिथि
	ई–लाटरी हेतु आवेदन करने की अवधि	दिनांक 20–2–2018 की प्रातः 10 बजे से दिनांक 28–2–2018 को सॉय 19.00बजे तक
2–	ई–लाटरी की तिथि /समय एवं स्थल	दिनांक 5–3–2018 को प्रातः 11 बजे से, स्थान की सूचना बाद में प्रकाशित करायी जायेगी।
3	भॉग दुकानो की नीलामी की तिथि /समय एवं स्थल	दिनांक 7–3–2018 को प्रातः 11.00बजे से स्थल–कलेक्ट्रेट समागार लखनऊ।
	द्वितीय चरण	तिथि
4	आनलाइन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 7.03.2018 को प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ होकर दिनांक 12.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
	ई–लाटरी की तिथि/समय/स्थल	14.03.2018 को 11:00 बजे से, स्थल जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित होगा।

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार जनपद लखनऊ की समस्त फुटकर देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शाप्स की दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 के लिए ई–लाटरी प्रकिया के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है तथा जनपद की 44 भांग दुकानों का व्यवस्थापन नीलामी प्रणाली द्वारा कराया जायेगा। दुकानों का पूर्ण विवरण जिसमे, देशी मदिरा का एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि ,प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शॉप्स हेतु वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित लाइसेस फीस/प्रतिभूति धनराशि एवं धरोहर धनराशि तथा आवेदन हेतु वाछिंत हैसियत प्रमाण–पत्र का सम्पूर्ण विवरण प्रकाशित करते हुए सर्वसाधारण से यथानुसार आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है:–

संलग्नकः दुकानों का सम्पूर्ण विवरण/सूची प्रकाशन हेतु।

19/2/18

(संतोष कुमार तिवारी)
जिला आबकारी अधिकारी,
लखनऊ।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी
लखनऊ।

सेवा में,

सम्पादक
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र........................

कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति अपने सम्मानित समाचार पत्र में संलग्न दुकानों के विवरण सहित प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

जिला आबकारी अधिकारी
लखनऊ।